

11/11

फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

वादी

प्रतिवादीगण

1 हालाराम पुत्र वजाराम मेघवाल
निवासी भडकावा ढाणी मीरपुर,
तहसील/जिल्ला सिरोही

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार, सिरोही
2. भलाराम पुत्र गोदाराम मेघवाल
निवासी सनवाडा तहसील रेवदर
जिला सिरोही
एवं अन्य 01

किंरम मुकदमा

रा.वाद. अधारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

रा.वाद सं. - 55/2024

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
--------	---------------------------------	---

16-08-2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.वाद अधारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का विरुद्ध प्रतिवादीगण का हमारे समक्ष इस न्यायालय में पेश किया। हमने उक्त रा.वाद व संलग्न दस्तावेजात प्रतियों का अवलोकन किया तथा उस पर मनन किया तो हम उक्त रा.वाद में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। मिसल आग्रन्दा वास्ते इन्तजार तामिली व जवाब प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 17-09-2024 को पेश हो।

1730-32
20/8/24

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

17/9/24

~~पञ्चावली पेहा डई। वगील वारी व
पेटोगार सरगार उप.। प्रतिवादी स्टेट नो
प्यारी समान तामिल होकर प्राप्त। पीठानी
अपिगारी ना लानातय। हो उक्त है मत।
पञ्चावली डेलतय होकर दिनांक 11/11/24
नो पेहा हो।~~

6/11/24

~~पञ्चावली पेहा डई। वगील वारी उप.।
जिनहोने पुनः अलग करने का Right Reserve
अवतरे हुए उक्त वार नो Withdraw
कर दिया है जिन्से उक्त वार नो चलाने का
नोई औचित्य नही होने से उक्त वार अश्वे
Withdraw अवरोध तिला जाता है निर्णय मरे
इलाय सुनाया जमा। पञ्चावली डेलतय होकर
नम्बर के तम हो।~~

सहायक कलेक्टर

पुनः प्रस्तुत करने
का Right
Reserve रखते
हुए प्रकरण को
Withdraw
करा है
Rishu Mathur